66

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आईईसी), जयपुर

क्रमांक – एफ (20) / एनआरएचएम / आईईसी / 2012 / 2160 दिनांक – 23/11/2012

संशोधन

विषय - परिपत्र क्रमांक - एफ (20)/एनआरएचएम/आईईसी/2012/2145 दिनांक 20.11.2012 के संबंध में।

उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि राज्य में 'हमारी बेटी एक्सप्रेस' वेन के संचालन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक - एफ (20)/एनआरएचएम/आईईसी/2012/2145 दिनांक 20.11.2012 के बिंन्दु संख्या 1 में वाहन क्रमांक एवं कवरेज क्षेत्र में मामूली संशोधन किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं -

1- **वाहनों की संख्या, क्षेत्रानुसार विभाजन एवं उद्देश्य** - राज्य में कुल 7 प्रशासनिक संभाग हैं अतः 4 वाहनों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है।

क्रमांक	वाहन क्रमांक	मुख्यालय	कवरेज क्षेत्र
1	**RJ – PC-0732**	जोधपुर मुख्यालय	जोधपुर एवं बीकानेर संभाग
2	**RJ – PC-0742**	जयपुर मुख्यालय	जयपुर संभाग
3	**RJ – PC-0741**	उदयपुर मुख्यालय	उदयपुर एवं अजमेर संभाग
4	**RJ – PC-0733**	कोटा मुख्यालय	कोटा एवं भरतपुर संभाग

उक्त परिपत्र में उल्लेखित वाहन क्रमांक एवं इनके कवरेज क्षेत्र को भविष्य में इस पत्र के अनुसार पढ़ा जावे।

निदेशक आई.ई.सी.

प्रतिलिपी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
3. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
4. परियोजना निदेशक, पीसीपीएनडीटी
5. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
7. संबंधित श्री ....पद...............................कार्यालय।
8. गार्ड फाइल।
9. सेन्ट्रल सर्वर रुम

निदेशक आई.ई.सी

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं (आईईसी), जयपुर

क्रमांक – एफ (20)/एनआरएचएम/आईईसी/2012/2145 दिनांक – 20/11/2012

परिपत्र

राज्य में कन्या भ्रूण हत्याओं को रोकने हेतु पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने एवं गिरते लिंगानुपात के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से 11 अप्रेल, 2012 को तत्कालीन केन्द्रिय स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा चार 'हमारी बेटी एक्सप्रेस' वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारी बेटी एक्सप्रेस गाड़ियों के संचालन हेतु पूर्व में जारी सभी परिपत्रों अथवा दिशा निर्देशों को विलोपित करते हुए नवीन दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं -

1- वाहनों की संख्या, क्षेत्रानुसार विभाजन एवं उद्देश्य - राज्य में कुल 7 प्रशासनिक संभाग हैं अतः 4 वाहनों का विभाजन निम्नानुसार किया गया है।

क्रमांक	वाहन क्रमांक	मुख्यालय	कवरेज क्षेत्र
1	**RJ – PC-0742**	जोधपुर मुख्यालय	जोधपुर एवं बीकानेर संभाग
2	**RJ – PC-0732**	जयपुर मुख्यालय	जयपुर संभाग
3	**RJ – PC-0741**	उदयपुर मुख्यालय	उदयपुर एवं अजमेर संभाग
4	**RJ – PC-0733**	कोटा मुख्यालय	कोटा एवं उदयपुर संभाग

1.1 इस मोबाइल पब्लिसिटी वाहन के माध्यम से पीसीपीएनडीटी अधिनियम एवं अधिनियम की मूल भावना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के बारे में आम लोगों को जागरूक करना है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या से समाज में उत्पन्न होने वाले असंतुलन के बारे में लोगों को सेंसेटाइज करना।

1.2 प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं आई.ई.सी के अन्य माध्यमों से पहले से भी इस संबंध में आम जन तक जागरुकता फैलाने के प्रयास किये जाते रहे हैं, परन्तु इस वाहन के माध्यम से सुदूर ग्रामीण इलाके के लोगों के साथ सीधा संवाद कर (इंटर पर्सनल कम्यूनिकेशन) के माध्यम से संदेश को और प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। कन्या भ्रूण हत्या वस्तुतः एक सामाजिक समस्या है, केवल लोगों तक संदेश देना मात्र से इस सामाजिक अभिशाप को दूर नहीं किया जा सकता, वरन् सतत् प्रक्रिया द्वारा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस सामाजिक समस्या को दूर किया जा सकता है। इस मोबाइल पब्लिसिटी वाहन के माध्यम से धर्म व समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को इस अभियान में जोडने का भी प्रयास किया जा सकेगा।

1.3 'पीसीपीएनडीटी अधिनियम' के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, जननी-शिशु सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की भी जानकारी आम जन तक प्रभावी तरीके से पहुंचायी जा सकेगी।

2- वाहनों के प्रभारी अधिकारी :- संबंधित मुख्यालयों के संयुक्त निदेशक उक्त वाहनों के संचालन हेतु समस्त कार्यों हेतु प्रभारी अधिकारी होंगे।

3- प्रभारी अधिकारी (संयुक्त निदेशक) के कार्य :-

3.1 संयुक्त निर्देशक जिलेवार उक्त वाहनों के संचालन हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक 1 जनवरी को आवश्यक रुप से कलेण्डर जारी करेंगे।

3.2 संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉकवार संचालन अवधि तय करेंगे।

3.3 प्रत्येक ब्लॉक में समाहित ग्राम पंचायतों/ग्रामों में उक्त वाहन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शन एवं प्रचार सामग्री वितरण हेतु वाहन का भ्रमण कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित ब्लॉक प्रभारी से वार्ता करके तैयार करवाया जाएगा।

3.4 प्रत्येक ब्लॉक हेतु ग्राम पंचायतों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम 15 दिवस का भ्रमण कार्यक्रम तैयार करवाया जाएगा।

3.5 उपरोक्त दिशा निर्देशानुसार सम्पूर्ण संभाग का कार्यक्रम जो 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा, जो आवश्यक रुप से 1 जनवरी तक तैयार कर लिया जावे।

4- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कर्तव्य -

4.1 हमारी बेटी एक्सप्रेस पब्लिसिटी वेन के संचालन हेतु प्रभारी संयुक्त निदेशक से प्राप्त समयावधि हेतु अपने जिले के सभी ब्लॉकों का कार्यक्रम बनाकर प्रभारी संयुक्त निदेशक को भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

4.2 अपने जिले में वाहन आने पर पूर्व निर्धारित कलेण्डर अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में उक्त वाहन का संचालन कराएंगे।

4.3 एक ब्लॉक में भ्रमण कार्य सम्पन्न हो जाने पर अगले ब्लॉक में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5- वाहन चालकों की व्यवस्था - पूर्व में राज्य मुख्यालय से जयपुर एक्स सर्विसमेन सोसायटी से अनुबंध किया गया था जोकि अप्रेल/मई, 2013 में समाप्त हो जायेगा।

5.1 आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रभारी संयुक्त निदेशक अपने स्तर पर एक्स सर्विसमेन सोसायटी से प्रत्येक वाहन पर दो-दो चालकों को लगाने हेतु अनुबंध करेंगे।

5.2 दो-दो वाहन चालक लगाने से प्रथम तो वाहन माह में 30 दिन भ्रमण कर सकेगा, द्वितिय चालकों को साप्ताहिक अवकाश रोटेशन से मिलता रहेगा।

5.3 दो चालकों के लगाने के फलस्वरुप वाहन किसी भी स्थिति में चालक की अनुपस्थिति के कारण अनुपयोगी खड़ा नहीं रहे यह सुनिश्चित करने का दायित्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

5.4 वाहन चालक फिल्म प्रदर्शन के बाद वाहन ब्लॉक मुख्यालय खड़ाकर रात्रि विश्राम करेंगे।

5.5 वाहन चालकों को वेतन एवं परिचालन हेतु सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिसके जिले में वाहन संचालित रहा, आवश्यक उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रभारी संयुक्त निदेशक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5.6 प्रभारी संयुक्त निदेशक प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रुप से हमारी बेटी एक्सप्रेस वाहन के संचालन हेतु आवंटित बजट से इन वाहन चालकों को मासिक राशि का भुगतान करना सुचिश्चित

करेंगे। राशि का भुगतान एक्स सर्विसमेन सोसायटी के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

5.7 प्रभारी संयुक्त निदेशक मार्च में वर्ष भर व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6- वाहनों हेतु ईंधन एवं मरम्मत कार्य का प्रवधान -

6.1 प्रभारी संयुक्त निदेशक उनके अधीन रखे गए वाहनों की समय-समय पर ईंधन एवं आवश्यकता होने पर मरम्मत की व्यवस्था करेंगे।

6.2 प्रभारी संयुक्त निदेशक पूर्व में जारी राशि व्यय हो जाने पर उसका उपयोगिता प्रमाण भेजते हुए अग्रिम राशि प्राप्त करने हेतु मांग भेजेगें।

6.3 वाहन के खराब होने की स्थिति में खराबी की प्रकृति को देखते हुए यथा संभव संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरम्मत कार्य तत्काल करा लिया जावे।

6.4 यदि तकनीकि खराबी स्थानीय स्तर पर मरम्मत योग्य नहीं हो तो तत्काल इसकी सूचना राज्य आईईसी, सलाहकार, एनआरएचएम को दूरभाष के जरिए एवं लिखित में दें।

6.5 वाहन अभी गारंटी अवधि में हैं, अतः गारंटी अवधि में खराब होने पर वाहनों का निर्माण करने वाली संस्था कमल कोच कंपनी, जयपुर को सूचना देकर स्थानीय स्तर पर मरम्मत कराते हुए बिल कंपनी को भेजेंगे।

7- वाहन हस्तांतरण की प्रकिया

7.1 रूट चार्ट आने के बाद संयुक्त निदेशक जिस जिले में वाहन संचालित करवाना चाहते हैं, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 10 पूर्व सूचित कर निर्धारित दिनांक पर किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को भेजने के लिए निर्देशित करें। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भेजे गए कर्मचारी को वाहन सुपुर्द किया जाये। यदि वाहन जोन के किसी अन्य जिले में संचालित है तो वहां से अन्य जिले को सीधे ही हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी संयुक्त निदेशक ही आदेश जारी करेंगे।

7.2 वाहन में कुछ स्थायी एसेसरीज एवं उपकरण लगे हुए हैं, जैसे एलसीडी, व्हीलचेयर, चेयर, मेज, पंखे इन सभी उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित ड्राइवर को लिखित में देंवे।

7.3 इसके अतिरिक्त वाहन म कुछ अन्य सामग्री भी है, जैसे थर्मस, मेडिकल सेसरीज, एलसीडी में दिखाई जाने वाली सीडी। इन सभी चीजों की सूची बना लेंवे, एवं वाहन हस्तांतरित करते समय वाहन ग्रहिता कर्मचारी से सूची के उपकरणों एवं सामानों को संभलाकर प्राप्ति ले लेंवे।

7.4 इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चाहे तो ब्लॉकों में भी संचालन के समय इसी प्रक्रिया का पालन करवा सकते हैं।

8- वाहन संचालन एवं आई.ई. सी. अभियान

8.1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले में इस वाहन के संचालन हेतु 30 दिवस का सर्कुलर रूट चार्ट बनवाएं। यानी वाहन एक ब्लॉक से सीधे दूसरे ब्लॉक में चले जाए एवं जिले के प्रमुख-प्रमुख स्थानों, गांवों, मार्गों पर भ्रमण कर लेवे। जोन अथवा अन्य जिले से वाहन प्राप्त करने के पश्चात जिले

के किसी सम्मानीय नागरिक यथा जिला प्रमुख, कलेक्टर अथवा अन्य से हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किराया जावे।

8.2 जिले में वाहन के संचालन की जिम्मेदारी जिला आई.ई.सी समन्वयक अथवा जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को दी जावे, साथ ही वाहन के संचालन में जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई के अन्य सदस्यों का भी सहयोग लेंवे।

8.3 जिस ब्लॉक में वाहन संचालित होगा, वहां के बीसीएमओ एवं बीपीएम उस संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारियों निभाएंगे। एक ब्लॉक में वाहन अधिकतम पन्द्रह दिवस भ्रमण करे, जरूरी हो तो ही इससे अधिक समय रखें। एक दिन में वाहन कम से कम दो गांवों का भ्रमण करेगा। ध्यान रहे वाहन का संचालन एक दिन में आठ घंटे से अधिक न हो। एक गांव में जहां दिन में कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा, वहीं शाम को दूसरे गांव में। दिन में कार्यक्रम जिस गांव में हो, वहां यह कार्यक्रम किसी राजकीय अथवा प्रमुख निजी विद्यालय में भी रखा जा सकता है। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक वाहन के भ्रमण की सूचना संबंधित चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों को पूर्व में ही दे। इन कार्यक्रमों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/बीपीएम, चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य फिल्ड स्टाफ को आने के लिए पाबंद किया जावे। आशा एवं एएनएम को इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक ग्रामीण महिला-पुरूषों की सहभागिता की जिम्मेदारी दी जावे।

8.4 कार्यक्रम के दौरान वाहन में उपलब्ध आई.ई.सी सामग्री का वितरण करवाया जावे एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस दौरान एकत्र हुए लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम के बारे में बताएं एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देंवे।

9- रिपोर्ट

वाहन द्वारा एक माह में कवर किए गए स्थानों, गांवों, कस्बों एवं स्थानीय मेलों की जानकारी प्रतिमाह एकजाई कर फोटोग्राफ के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत की जावेगी।

20.XI.12
निदेशक आई.ई.सी.

D.No- 2145
20/11/2012

प्रतिलिपी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, जयपुर
2- निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य गिशन
3- परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
4- परियोजना निदेशक, पीसीपीएनडीटी
5- संयुक्त निदेशक, समस्त जोन
6- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले
7- संबंधित श्री .....पद.....कार्यालय।
8- गार्ड फाइल।
9- सेन्ट्रल सर्वर रुम

20-XI.12
निदेशक आई.ई.सी